कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45002/प्रधाना/स्थाना./2019 दिनांक 29.09.2019 द्वारा सुश्री निर्मला शर्मा (NIRMALA SHARMA), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूंडिया रामसर (MUNDIA RAMSAR), जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डावरा (MANDAWARA), जिला टोंक एवं मंजुलता चौधरी (MANJU LATA CHAUDHARY), प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, रसीली (RASILI) जिला जयपुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूंडिया रामसर (MUNDIA RAMSAR), जिला जयपुर में स्थानान्तरित किया गया था। उक्त स्थानान्तरण आदेश के विरूद्ध सुश्री निर्मला शर्मा द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील सख्या 3631/2019 निर्मला शर्मा बनाम निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर, अन्य दायर की गई।

अपील संख्या 3631/2019 में माननीय अधिकरण द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 29.11.2019 द्वारा विभागीय आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 का प्रभाव एवं क्रियान्वयन अपीलार्थी सुश्री निर्मला शर्मा के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी आदेश तक स्थगित किया गया है।

अतः माननीय अधिकरण के उक्त अन्तरिम आदेश की अनुपालना में विभागीय आक्षेपित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 29.09.2019 को याचिकार्थी सुश्री निर्मला के सम्बन्ध में माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम आदेश तक स्थगित किया जाता है जिसके फलस्वरूप सुश्री निर्मला शर्मा माननीय अधिकरण के आगामी/अन्तिम निर्णय के अधीन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मूंडिया रामसर (MUNDIA RAMSAR), जिला जयपुर में प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित रहेंगी एवं उनके स्थान पर स्थानान्तरित, मंजुलता चौधरी (MANJU LATA CHAUDHARY), प्रधानाचार्य, को निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी आगामी उपस्थिति कार्यालय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर में आगामी आदेश तक दी जानी सुनिश्चित करें।

(हिमांशु गुप्ता)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील अधिकरण–3631/निर्मला शर्मा/2019 **दिनांकः** 17.12.2019

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, अजमेर/जयपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, जयपुर/टोंक।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक, जयपुर/टोंक।
6. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, को निर्देशित किया जाता है कि वे आदेश की पालना तत्काल सुनिश्चित करावें।
7. जिला शिक्षा अधिकारी(विधि) माध्यमिक, जयपुर।
8. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
9. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
10. सम्बन्धित प्रधानाचार्यों को आदेश की पालनार्थ।
11. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner